

पालिका परिषद् तिल्दा—नेवरा, जिला—रायपुर (छ.ग.) जिल्दा—नेवरा दिनांक ३) - १० - ३.०। १

पित्तिकर की दरों में निम्नानुसार सुधार प्रस्तावित है

		रापारतपर परा	4(1 1 1 1	जीन में शामिल मोहल्ला एवं मार्ग
01	1 - 34C	जोन कमांक		जीन में शामिल नाहरता एवं तर
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	जीन कमांक 01		01. स्टेशन चौक से केम्प, बी.एन.राईसमील
	a.		p.	02. बीयरवार से खरोरा नाका
				03. बीयरबार से सिमगा प्रवेश द्वार तक
				04. दीनदयाल चौक से गुरूधासी दास चौक
				05. बी.एन मील से गांधी क्लाथ स्टोर्स तक
1 1		<u> </u>		06. गुरुधाशी दास चौक से के.के.राईस मील तक
				07. गांधी चौक से कन्या हाई स्कूल होते हुए कालेज रोड़
. 1				08. दीनदयाल चौक से हेगू कलाणी चौक तक
				08. दानदेवाल वाक से हिंदू कराना जान पर 09. सुभाष चौक से जैन गंदिर होते हुए पीताम्बरा फुट्स तक
				09. सुनाप वाक स जान नायर हारा हुए नायान्य महिना र
				10. शहर में विभिन्न स्थानों में स्थित रामस्त राईस भील /
				व्यवसायिक पुरिसर / नर्सिमहोम् / होटल /
				लॉज / वैंकिंग संस्थान आदि क्षेत्र/ सेड
		जीन कर्मांक 02		मुख्य वाजार, मुख्य मार्ग एवं मुख्य क्षेत्र से 100 भीटर की दूरी से अंदर
				का राभी मोहल्ला एवं क्षेत्र
65-	terra character a	TO ALEXAND THE THEOLOGY AT	THE TEXT OFFICE	प्राचन उपराने को प्राचीनका को भारतों को विभिन्न भोतों की दिवा पाँच स्विधित

नियम 5 के अधीन भवनो व भूमियों का वार्षिक भाडा मूल्य अवधारण करने के प्रयोजन से भवनों के निर्मित क्षेत्रों के लिए प्रति वर्गफुट

वार्षिक तथा भगियों के लिए प्रतिवर्गफट वार्षिक दर निर्धारण निम्नानसार नियत किया जाता है।

जीन कं.	आवासीय			य्यवसायिक			खुली भूगि	
	कच्चा	अर्द्ध पक्का	पवका	कच्चा	अर्द्ध पक्का	पक्का	आवासीय	व्यवसायिक
01	9.75	11.25	12.75	16.5	18.75	20.63	4.5	6.75
02	8.5	10.00	11.55	15.00	16.5	19.00	3.00	5.00

पक्छा

आर सी सी/आर वी सी/पत्थर की छत्तयुक्त पक्का भवन

02. आंशिक पक्का

सीमेंट/लोहें की चादर या कवेलु टाईल्स छत्तयुक्त भवन।

जो उपरोक्त दोनो वर्गो में नहीं।

04. 01 जनवरी से 31 मार्च तक (चालू वित्तीय वर्ष) 10% अधिभार (संपत्तिकर पर)

संपत्तिकर की दरें -

रानारावर वर्ग वर	
1. आरंभ से 10,000 रूपये तक	, वार्षिक भाड़ा मूल्य का ६ प्रतिशत
2. 10,001 से 15,000 रूपये तक	वार्षिक भाड़ा मूल्य का ७ प्रतिशत
3. 15,001 से 20,000 रूपये तक	वार्षिक भाड़ा मूल्य का ८ प्रतिशत
4. 20,001 से 25,000 रूपये तक	वार्षिक भाड़ा मूल्य का 9 प्रतिशत
5. 25001 से ऊपर	वार्षिक भाड़ा मूल्य का 10 प्रतिशत

टीप :- यिन्दु कमांक 01 से 04 के भवन/भूमि पर परिक्षेत्र कमांक 01 की दरें लागू होगी।

- 01. विशेष वर्ग के भवन में निम्नांकित प्रकार के भवन शामिल है माल/सुपरबाजार, मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स, आटो मोबाईल, शोरूम, बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/ए. टी.एम शादी हाल, रिविंगिंग पूल वाले होटल तथा 10 शय्याओं से वडे निजी चिकित्सालय ............
- उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र में रथापित किसी ईकाई द्वारा भूमि के किसी भाग का उपयोग शॉपिंग काम्पलेक्स, शोरूम दूकान होटल या अन्य व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किये जाने की दशा में उस पर समीपस्थ मोहल्ले/कालोनी के लिए निर्धारित व्यावसायिक दर लागू होगी।

यदि किसी भूभि या भवन का उपयोग, उद्योग चलाने के लिए किया जा रहा है तो उस पर संबंधित परिक्षेत्र की व्यावसायिक दर लागू होगी।

कालोनाईजर नये और शेष मोहल्लो के संबंध में यदि किसी वार्ड में स्थित नई कॉलोनी या किसी पुराने मोहल्ले का उल्लेख होने से रह गया हो तो ऐसी कॉलोनी/मोहल्ले पर संपत्तिकर का निर्धारण उसके सनीपरथ अधिक दर वाली कॉलोनी/मोहल्ले के लिए लागू दर के आधार पर किया जाएगा ।

> मुख्य नगरपालिकी अधिकारी नगरपालिका परिषद तिल्दा-नेवरा